उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ

परिपत्र सं0 सी० 92 /ग्रे0सेल एवं बीमा/2017-18 दिनांक 22-2-2018

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश

विषय- <u>ग्रुप इन्श्योरेन्स एवं ग्रुप पेंशन योजना की कटौती के सम्बंध में</u>

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय के परिपत्र सी-64/ग्रे0सेल एवं बीमा/2017-18 दिनांक 09.11.17 संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्दिष्ट शर्तों एवं नियमों के अधीन लागू की गयी ग्रुप इन्श्योरेन्स एवं ग्रुप पेंशन योजना हेतु सहमत कर्मचारियों/अधिकारियों का माह नवम्बर 2017 के वेतन से नियमानुसार कटौती कर कटौती का विवरण निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 07.12.17 तक ग्रेच्युटी अनुभाग को प्राप्त कराने का निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में पुनः सूचित करना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त पत्र दिनांक 08.01.18 द्वारा सूचित किया गया है बीमा हेतु निर्धारित रिस्क प्रीमियम की राशि प्रत्येक रिनीवल तिथि पर परिवर्तनीय होगी, अर्थात जैसे-जैसे बीमित की आयु में बढ़ोत्तरी होगी उसी प्रकार रिस्क प्रीमियम की धनराशि में भी बढ़ोत्तरी होती रहेगी। इस प्रकार अधिक आयु के कार्मिकों की रिस्क प्रीमियम राशि अधिक होगी तथा कम आयु के कार्मिकों की रिस्क प्रीमियम राशि कम होगी, साथ ही अनुरोध किया गया है कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में कम से कम 5 से 10 वर्ष का समय बकाया हो उन्हे ही इस योजना में शामिल किया जाय।

अग्रेतर अवगत कराना है कि उक्त योजना हेतु जिन शाखाओं से वांछित सूचना दिनांक 19.12.17 तक ग्रेच्युटी अनुभाग को प्राप्त हो गयी थी उन शाखाओं/प्रशि0 केन्द्र एवं प्रधान कार्यालय के कार्मिकों हेतु नवीन बीमा पालिसी ले ली गयी है जो दिनांक 28.12.17 से लागू हो गयी है।

अतः एल0आई0सी0 द्वारा संशोधित प्रीमियम दर कर्मचारीवार उपलब्ध करायी गयी प्रीमियम सूची का अध्ययन करने के उपरान्त निष्कर्ष निकलता है कि जिन कार्मिकों की आयु 50 वर्ष अथवा उससे अधिक है, उन कार्मिकों के लिये उक्त योजना अधिक लाभकारी नहीं है। (पेंशन योजना हेतु कटौती की राशि में बचत कम है किन्तु कर्मी का रिस्क कवर अवश्य रहेगा।) चूंकि भा0जी0बी0नि0 द्वारा उक्त योजना हेतु संशोधित कर्मचारियों की सूची प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त योजना हेतु पुनः शाखा प्रबंधक शाखा कर्मचारियों से असहमति/सहमति प्राप्त कर कटौती की कार्यवाही करे तथा असहमति पत्र की एक प्रति प्रधान कार्यालय अवश्य भेज दी जाय तथा सहमत कर्मचारियों/अधिकारियों का माह फरवरी 2018 के वेतन से नियमानुसार मासिक अंशदान की कटौती कर कटौती का विवरण निर्धारित प्रारूप पर हार्ड कापी से तथा ई मेल के द्वारा gmplanupsgvb @ gmail .com पर साफ्ट कापी दोनो प्रकार से विलम्बतम दिनांक 07.03.18 तक प्रत्येक दशा में प्रधान कार्यालय के ग्रेच्युटी अनुभाग को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिकारी/मण्डल प्रभारी उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
2. प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. उप महाप्रबंधक (आई0टी0सेल) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को उपरोक्त परिपत्र समस्त शाखाओं को ई मेल करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड।

(अजयपाल सिंह)
महाप्रबन्धक (प्रो0)